आज प्राप्त 14/2/21
Received on - 09/02/21

सत्यमेव जयते

संख्या– —— / जी0एस0(शिक्षा) / A4-14-1 / 2012

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत
सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : **देहरादून : दिनांक : 04 फरवरी, 2021**

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या–1093 एवं 1094, दिनांक 03.06.2019 सहित पत्र संख्या–882, दिनांक 15.10.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– यू0जी0सी0 विनियमों के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने संबंधी निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्थान, निरीक्षण मण्ड़ल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सिं०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा–24(2) के अधीन निम्न संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति निम्नवत् उपबन्ध के साथ प्रदान की गयी है :–

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
बी०एफ०आई०टी० टैक्निकल कैम्पस, सुद्धोवाला, चकराता रोड़, देहरादून	एम०बी०ए०	60	2019–20

(1) यू०जी०सी०, नियामक संस्थान, निरीक्षण मण्डल व विश्वविद्यालय के मानकानुसार सभी मानक पूर्ण होने की दशा में कार्यपरिषद् की संस्तुति से अस्थाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत करे व कृत कार्रवाई से इस सचिवालय को अवगत कराये।

(2) सत्र 2020–21 भी समाप्त होने की ओर है और अभी तक सत्र 2020–21 की अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्रवाई करते हुए निरीक्षण मण्डल की आख्या सहित समस्त मानक पूर्ण करते हुए सत्र 2020–21 का प्रस्ताव इस सचिवालय को उपलब्ध कराया जाये।

(3) संशोधन विधेयक 2020 से विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित हो चुका है। सम्बद्धता आदेश निर्गत करते समय इसका भी ध्यान रखा जाये।

3– अतएव अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यथा समय सारिणी प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

संख्या–2844 (1) / जी0एस0(शिक्षा) / A4-14-1 / 2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य / प्रबन्धक, सम्बन्धित संस्थान / कॉलेज।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फ़ाईल हेतु।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
अपर सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।